फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

कालूराम बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 08 / 2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खाता संख्या नया 78 पुराना 72, तथा खाता संख्या नया 61 पुराना 86, खाता संख्या नया 107 पुराना 93 वावके ग्राम जोध्या तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का अशुद्ध नाम बतौर सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का अनुतोष है कि उक्त भूमि के संबंध में मृतक बुद्धा की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया, जिसमें प्रार्थी का नाम कालू पुत्र बुद्धा की जगह रामपाल पुत्र बुद्धा एवं सेम्पल पुत्र बुद्धा दर्ज किया गया, जिसे शुद्ध किया जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात एवं तह0 बहरावण्डा के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा विरासत के नामान्तकरण में हुई त्रुटि के संबंध में अनुतोष चाहा गया है एवं प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया है। यदि प्रार्थी को विरासत के नामान्तकरण के संबध में कोई उज्र है तो नियमानुसार नामान्तकरण की अपील पेश करनी चाहिए। इसलिए प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	